HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Second Appeal No. 304/2026
URN: CSA / 467U / 2026

Ramnath & Ors.

----Appellants/Plaintiffs

Versus

District Collector Deeg & other

----Respondents/Defemdamts

For Appellant(s) : Mr. S.L. Sharma
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

06/07/2026

S.B. Civil Misc. Stay Application NO. 2966/2026 IN
S.B. Civil Second Appeal No. 304/2026:-

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक को स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2966/2026 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि वादग्रस्त मंदिर को वह अपने पूर्वजों के समय से पिछले 90–95 साल से काम में ले रहे हैं। प्रदर्श पी. 22 निर्माण मंजूरी मय नक्शा दिनांक 02.12.1987 प्रस्तुत हुआ है तथा अपीलार्थीगण 40 वर्षों से बिना किसी विवाद के उक्त विवादग्रस्त संपत्ति पर काबिज हैं। पूर्व में भी प्रदर्श पी. 24 एवं 26 के अनुसार विवादित मंदिर पर न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी। प्रदर्श पी. 28 नक्शा मौके रिपोर्ट में भी मंदिर पक्का बना हुआ बताया गया है। प्रत्यर्थीगण मंदिर में तोड़–फोड़ करने को आमादा हैं। अतः मंदिर को नहीं तोड़ने हेतु अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जाए।

सिविल वाद संख्या 37/2015 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 17.09.2025 का और विद्वान अपीलीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीग द्वारा जारी दीवानी नियमित अपील संख्या 11/2026 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 30.05.2026 का अवलोकन किया गया।

विद्वान अपीलीय न्यायालय के द्वारा विवादित मंदिर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के बीच अवस्थित होना बताया गया है और जिससे आवागमन का मार्ग अवरूद्ध होना, दुर्घटना कारित होने की आशंका का होना भी बताया गया है। वादग्रस्त संपत्ति अपीलार्थीगण के स्वामित्व की है, यह इस स्तर पर प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट नहीं हो रहा है। विवादित संपत्ति को राजकीय संपत्ति होना बताया गया है तथा सार्वजनिक मार्ग की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा बताया गया है। अतिक्रमण हटाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश की पालना में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण आगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

उक्त विवेचन के आधार पर यह स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2966/2026 निस्तारित किया जाता है।

S.B. Civil Second Appeal No. 304/2026:-

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किए जावें

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/14